

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018


जयपुर, दिनांक:- - 5 DEC 2018

-: आज्ञा :-

निर्वाचन विभाग के अनुरोध पर आगामी विधानसभा चुनाव, 2018 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन प्रबन्धन के लिए इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 03.12.2018 एवं 04.12.2018 द्वारा क्रमशः 37, 03 एवं 07 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएँ उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सौंपी/परिवर्तित की गई थी, उक्त आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


सभी संबंधित अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल पद पर ही कार्य करेंगे। जिन अधिकारीगणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत की हो तो वे भी अपने मूल पद पर उपस्थित होकर अपने पद का कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
8. संबंधित कन्ट्रोलिंग अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारीगण।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, (उपनिदेशक) कार्मिक विभाग।


शासन संयुक्त सचिव